कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, स्पेशल टास्क फोर्स, उ.प्र., लखनऊ

फोन/फैक्स – 0522-2333100, e-mail:ssp@upstf.com

पत्रांक : एसटीएफ-भ-42/2013 दिनांक : नवम्बर 16 2013

विज्ञप्ति

पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना उ.प्र. पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या: दस-375/2012(चतु. श्रे.भर्ती) दिनांक 11-06-2013 एवं 13-06-2013 तथा उसके साथ संलग्न शासनादेश संख्या : 1921/6-पु-2-2012-1100(81)/10, दिनांक 07-03-2013 में अंकित निर्देशानुसार स्पेशल टास्क फोर्स, लखनऊ में निम्न विवरण के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को उ.प्र. पुलिस समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली-2009 के अन्तर्गत भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र. सं.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या				कुल योग	वेतनमान	ग्रेड-पे
		सामान्य	पिछड़ी जाति	अनु.जाति	अनु.जनजाति			
1.	कुक/कहार/अनुचर/ओपी/पीओपी	13	7	5	1	26	5200-20200	1800

उक्त पदों पर भर्ती से सबंधित अर्हतायें :-

(1) **आयु** - अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-07-2013 को 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा शासनादेशों के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैन्य कार्मिकों, युद्ध के दौरान शहीद हुए सैन्य कार्मिकों के आश्रितों, सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों और खिलाड़ियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हता और भर्ती के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षा में शिथिलता भर्ती के समय सरकार के सामान्य नियमों या आदेशों के अनुसार प्रदान की जायेगी।

(2) **शैक्षिक योग्यता**- अभ्यर्थी ने कम से कम कक्षा-05 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(3) **राष्ट्रीयता**- अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

(4) **आरक्षण**- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा।

(5) **अर्हतायें** - कोई व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी के किसी पद पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब उसे विभागीय एवं पुलिस बल की आवश्यकताओं के दृष्टिगत उक्त पद के कार्य का अपेक्षित ज्ञान एवं समुचित अनुभव हो। इससे सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाये।

(6) अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता हो, परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थी पर लागू न होगी।

(7) प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा इससे संबंधित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जायें।

(9) **चरित्र**- अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति अधिष्ठान में किसी पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं समझे जायेंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

(10) **वैवाहिक परिस्थिति**- ऐसा कोई पुरुष अभ्यर्थी पात्र नही होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो।

(11) **स्वास्थ्य**- किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय तीन में किये गये फन्डामेन्टल रूल-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

(12) **भर्ती प्रक्रिया**- इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अभ्यर्थियों की दक्षता का मूल्यांकन करने हेतु संगत व्यवसाय के निमित्त परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(13) दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जायेगा तदोपरान्त मैरिट के आधार पर चयन किया जायेगा।

(14) **अन्य**-

1- अभ्यर्थी दिवालिया न हो तथा किसी न्यायालय द्वारा दंडित न हुआ हो।

2- किसी अनाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अथवा चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

3- यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता है/ अथवा उसने गलत/ झूठी सूचना/ सार्टिफिकेट/ अभिलेख प्रस्तुत किये गये अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाये हैं, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। यदि इस प्रकार की कोई कमी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात प्रकाश में आती है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

5- किसी अशुद्धि, त्रुटि या विरोधाभाष की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतद्‌र्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गई व्यवस्था मान्य होगी।

(15) <u>बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा</u> :- अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केन्द्रों के आवंटन संबंधी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होगा।

(16) <u>आवेदन पत्र का जमा करना</u> :- इच्छुक अभ्यर्थी संलग्न प्रारूप में आवेदन-पत्र टंकित कराकर सम्पूर्ण प्रविष्टियों को पूर्णकर अपेक्षित प्रमाणपत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियों सहित दिनांक 20-11-2013 से 19-12-2013 तक प्रात: 1000 बजे से सायं 1700 बजे तक कार्यदिवस में कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ., मुख्यालय, बी-3 विज्ञानपुरी, महानगर, लखनऊ में जमा कर सकते हैं। दिनांक 19-12-2013 के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा।

(17) अभ्यर्थी को आवेदन फार्म के साथ अपना पत्र व्यवहार का पता अंकित करते हुए रजिस्टर्ड डाक टिकट सहित दो लिफाफे संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(18) दिनांक 19-12-2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षणोपरान्त जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाये जायेंगे, उनकी दक्षता परीक्षण हेतु दक्षता परीक्षा के स्थान व तिथि की सूचना कार्यालय के सूचना पट पर तथा विज्ञप्ति के माध्यम से दिनांक 28-12-2013 को दी जायेगी।

(19) दक्षता परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।

संलग्न : आवेदन-पत्र का प्रारूप।

(अमित पाठक)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
एस.टी.एफ., उ.प्र., लखनऊ

स्पेशल टास्क फोर्स उ.प्र. में ओपी/पीओपी व कुक/कहार/ अनुचर पद पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र

पद नाम (जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है) ....

1- अभ्यर्थी का पूरा नाम :-
हिन्दी में (देवनागरी लिपि में) ....

2- पिता/पति का नाम ....

3- माता का नाम ....

4- शैक्षिक योग्यता :- ....

अभ्यर्थी स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज के फोटो चस्पा करेगें।

(शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्रों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जायें)

क्र.सं.	उत्तीर्ण परीक्षा	विद्यालय/ बोर्ड का नाम	वर्ष	श्रेणी	प्रतिशत

5- जन्मतिथि (प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये)

	तिथि	माह	वर्ष
अंकों में	....	....	....
शब्दों में	....	....	....

6- जाति/उपजाति ....
(आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करेंगे)

7- स्थाई पता :- ....
(ब) पत्र व्यवहार का पता ....
..........................मोबाइल नं. ....

8- राष्ट्रीयता ....

9- वैवाहिक स्थिति (विवाहित/ अविवाहित) ....
(यदि विवाहित हो तो इस आशय का स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र संलग्न किया जाये कि उनकी एक ही जीवित पत्नी है)

10- अनुभव/ पूर्व सेवा (सरकारी/ प्राइवेट) का विवरण (यदि कोई हो) :-

11- वर्तमान में यदि कहीं कार्यरत हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित उसका विवरण :

<u>घोषणा-पत्र</u>

मैं .... पुत्र .... निवासी .... एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैंने विज्ञापित की गई पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ी है। ये मुझे मान्य है और ये शर्तें पूरा करता हूँ/ करती हूँ।

2- इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण एवं सूचनायें सत्य एवं सही हैं औवर इन विवरण/ सूचनाओं में कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। सूचना असत्य अथवा गलत पाया जाये अथवा कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जाये। मैंने अपने कार्यालय/ विभाग के प्रधान से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है।

संलग्नकों की संख्या एवं विवरण :-

दिनांक :
स्थान -

प्रार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर
(स्पष्ट नाम)

UP-81101 विज्ञापन वेबसाइट **www.upgov.nic.in** पर उपलब्ध है